संख्या-196/2018/2953/22-2-2017-17(769)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2018**

विषय:- जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बादाम सिंह पुत्र श्री छिद्दू सिंह, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-40361/प्रोबेशन-3/फार्म-ए/(एम 02.05.2017) दिनांक 09.11.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बादाम सिंह पुत्र श्री छिद्दू सिंह, जो बजेड़ा सिंधी, थाना-नगला सिंधी, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। बन्दी ने सहअभियुक्त रामदीन व हरगोविन्द (मृतक) के मध्य पारिवारिक दुश्मनी की रंजिश में दिनांक 09-05-1992 को भाले से गोद कर हरगोविन्द की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-26/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट टैक कोर्ट नं0-2, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 28.06.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.10.2017 तक 16 वर्ष 02 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 03 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने यह अंकित किया है कि बन्दी ने सहअभियुक्त रामदीन व हरगोविन्द (मृतक) के मध्य पारिवारिक दुश्मनी की रंजिश में दिनांक 09-05-1992 को भाले से गोद कर हरगोविन्द की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बादाम सिंह पुत्र श्री छिद्दू सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बादाम सिंह (बन्दी संख्या-496/13) पुत्र श्री छिद्दू सिंह, निवासी जनपद-फिरोजाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-196/2018/2953(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फिरोजाबाद।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-196/2018/2953@22-2-2017-17(769)/2017

दिनांक 26 फरवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बादाम सिंह पुत्र श्री छिद्दू सिंह, जो बजेड़ा सिंधी, थाना-नगला सिंधी, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। बन्दी ने सहअभियुक्त रामदीन व हरगोविन्द (मृतक) के मध्य पारिवारिक दुश्मनी की रंजिश में दिनांक 09-05-1992 को भाले से गोद कर हरगोविन्द की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-26/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट टैक कोर्ट नं0-2, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 28.06.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.10.2017 तक 16 वर्ष 02 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 03 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने यह अंकित किया है कि बन्दी ने सहअभियुक्त रामदीन व हरगोविन्द (मृतक) के मध्य पारिवारिक दुश्मनी की रंजिश में दिनांक 09-05-1992 को भाले से गोद कर हरगोविन्द की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बादाम सिंह पुत्र श्री छिद्दू सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in